फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री दिनेश चन्द्र सनाढ्य पिता श्री आनन्दीलाल सनाढ्य निवासी आनंद विला, आनंद विहार, किशोर नगर, राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ जिला राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 12/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक **07.08.2023** पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से जरिये पृष्ठाकंन पत्रांक क्रमांक सू.का अधि.05/2023/717 दिनांक 15.06.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार गढबोर के पत्रांक/RTI/2022/180 दिनांक 13.04.2023 एवं तहसीलदार कुम्भलगढ के पत्रांक/सू.अ.अधि./2005/2023/23 दिनांक 17.04.2023 के अनुसार प्रार्थी के आवेदन पत्र में किसी विशिष्टियों का अंकन नही हैं। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण रिकार्ड खंगाल पर वांछित सूचना तैयार की जानी है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के तहत इसकी इजाजत नही देता हैं। सूचना की विशिष्टियों के अभाव में उक्त अधिनियम की धारा 6(1)(b) के आलोक में भी अदेय हैं। सूचना की प्रविष्टियों का अभाव होने तथा सम्पूर्ण रिकार्ड खंगालकर उसको नया रूप प्रदान कर सूचना तैयार की जाकर दिये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नही हैं। अतः नियमानुसार उक्त वांछित सूचना प्रदान किया जाना संभव नही हैं। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में किसी विशिष्टियों का अंकन नही करने से नियमानुसार प्रदान किया जाना संभव नही होने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)